प्रेस नोट दिनांक 05.07.2026

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोहंडौर के उ0नि0बृजेश कुमार मय हमराह का0 अवधेश यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 264/2022 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(r),3(1)(s),3(2)(va) SC/ST एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त मजीद पुत्र अल्ताफ उर्फ आफताब उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मजीद पुत्र अल्ताफ उर्फ आफताब उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -
उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 अवधेश यादव थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 अदद बैट बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रामराज को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद बैट बरामद किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 04.07.2026 को थाना अन्तू पर वादिनी निवासी ग्राम बघुमार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना अंतू पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके निर्माणाधीन मकान पर कार्य कर रहे राजगीर एवं मजदूरों द्वारा मजदूरी के रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के दौरान अभियुक्तगण 1. रामराज हरिजन पुत्र दुखी, 2. राजू मुसहर पुत्र जमुना, 3. मोनू पुत्र जीतलाल एवं 4. सूरज पुत्र जमुना, समस्त निवासीगण अज्ञात द्वारा उनके पति राममिलन गुप्ता के साथ क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 169/2026, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रञ्जन राव मय हमराह, हे0 का0 ऋषिकेश यादव, का0 भागीरथ सिंह, का0 अंकित कुमार द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/2026, धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त रामराज पुत्र दुखी राम निवासी धनौर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतीपुर तिराहा बिहारगंज रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि कई दिन से मैं अपना मजदूरी का पैसा मृतक से मांग रहा था लेकिन मृतक राममिलन गुप्ता मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा था तथा धमका कर मुझे भगा देता था जिससे मैं पूर्ण रूप से कल दिनांक 04/07/2026 को तैयारी के साथ में तथा राजू मुसहर पुत्र जमुना, मोनू पुत्र जीतलाल, सूरज पुत्र जमुना निवासीगण जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को साथ लेकर अपने मजदूरी का पैसा मांगने के लिए मृतक राममिलन गुप्ता निवासी बघुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ के घर गए थे । जहां पर मृतक राम मिलन गुप्ता से मजदूरी के पैसा मांगने को लेकर उसने हम चारो से मार पीट करने लगा जिससे आवेश में आकर मैंने उसके घर पर रखा बैट उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया

। हम लोग मौके से फरार हो गए कुछ देर बाद जब हम लोगों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और हम चारों के खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा लिखवा दिया है तो मै गाँव छोड़कर बाहर भागने के फिराक में था कि आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथी कल से ही इधर उधर भाग रहे है। बैट के संबंध में बताया कि वह बैट मै यही बगल बास की कोठ में छुपा रखा हूं चलिए मै उसे बरामद कराता हूं। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद लकडी का टुटा बैट मय मुठिया बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रामराज पुत्र दुखी राम निवासी धनौर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह, हे0 का0 ऋषिकेश यादव, का0 भागीरथ सिंह, का0 अंकित कुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।